(13)

# SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE,1808

**In the Court of** अरविन्द श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी जिला सीहोर म.प्र.

**S.T.case no........................ Complaint or report made on.............**

**Name and address of the complainant.........**म.प्र. शासन द्वारा थाना शाहगंज तहसील बुदनी जिला सीहोर, मध्यप्रदेश।

---

**Name parentage.caste and address of accused**

अभियुक्तः– साकेत शर्मा पिता मथुरा प्रसाद शर्मा आयु 29 साल निवासी ग्राम बकतरा थाना शाहगंज जिला सीहोर मध्यप्रदेश।

---

**The offence complained of.and date of.its alleged commission**

परिवादित अपराध का विवरण

घटना का संक्षिप्त विवरण– अभियोग पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आपने दिनांक 10.06.2022 को समय शाम 6.45 बजे स्थान कलारी तिराहा मेन रोड बकतरा में अपने अधिपत्य में देशी प्लेन मदिरा के 18 क्वार्टर कीमती लगभग 1620/– रूपये अक्षरी एक हजार छः सौ बीस रूपये को बिना अनुज्ञप्ति के रखे पाये गये अतः आपका उक्त कृत्य अपराध धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)(क) के तहत दंडनीय अपराध है।

Arvind

(अरविन्द श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बुदनी जिला सीहोर (म.प्र.)

---

**The plea of the accused and his examination (if any)**

आरोपी का उत्तर– जुर्म स्वेच्छापूर्वक स्वीकार है

साकेत शर्मा

Arvind

(अरविन्द श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बुदनी जिला सीहोर (म.प्र.)

---

**The offence proved.if any, andin case nuder clause,(d)clause (e) clause (f)or clause (g) of sub-section (i) of section 260 the value of the property in respect of which the offeance has been committed.**

Scanned with OKEN Scanner

## :: निर्णय ::

{आज दिनांक 18.10.2022 को पारित किया गया}

01. अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)(क) के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परस्थितियों में अभियुक्त को परीवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

### दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को प्रमाणित अपराध के लिए म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)(क) में 1800 रु /— रूपये अक्षरी एक हजार आठ सौ रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिकम पर अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

03. जप्तशुदा संपत्ति देशी प्लेन मदिरा के 18 क्वार्टर कीमती लगभग 1620/— रूपये अक्षरी एक हजार छः सौ बीस रूपये अपील अवधि अवसान उपरांत नष्ट हो अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर,
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

Arvind

(अरविन्द श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बुदनी जिला सीहोर (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

Arvind

(अरविन्द श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बुदनी जिला सीहोर (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner